प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला– जयपुर, थाना– प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यू0 जयपुर, वर्ष–2022
प्र0सू0रि0 सं. 204/2022 दिनांक 25/5/2022

2. (I) अधिनियमः–धारा 7, 7ए, 8 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018)

(II) अधिनियम .. भा.दं.सं. धारायें .... 120बी

(III) अधिनियम .... धारायें ....

(IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें भा0दं0सं0.........................

3 रोजनामचा आम रपट संख्या ....520.... समय ....6:50 PM..............

(ब) अपराध घटने का दिन–रविवार दिनांक 24.05.2022 समय 01:00 पीएम

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक ....

4. सूचना की किस्म :– लिखित /मौखिक– सूत्र सूचना

5. घटनास्थलः– राजस्थान नर्सिंग कौसिंल, जयपुर।

(अ पुलिस थाना से दिशा व दूरीः– –

(ब) बीट संख्या.........................जयरामदेही सं................

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो

पुलिस थाना ....जिला ....

6. (प)परिवादी /सूचनाकर्ता :–

(अ) नाम– सरकार जरिये श्री कमल नयन

(ब) पिता/पति का नाम–

(स) जन्म तिथी–

(द) राष्ट्रीयता – भारतीय

(य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि
जारी होने की जगह ....

(र) व्यवसाय–उप अधीक्षक पुलिस, विअनुई, भ्रनिब्यूरो, जयपुर ।

(ल) पता–

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –

1– श्री नन्द किशोर शर्मा पुत्र श्री बंशीधर शर्मा उम्र 60 साल निवासी मकान नम्बर 114, कालवाड रोड, गोविन्द पुरा, मुरली मनोहर जी का मंदिर के पास, जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, जयपुर

2– श्री बंशीलाल पुत्र श्री तेजाराम गुर्जर उम्र 32 साल निवासी भेरू करेडा, पुलिस थाना करेडा, जिला भीलवाडा हाल मकान नम्बर जी–355, आजाद नगर, गोतम आश्रम वाली गली, भीलवाडा

3– अन्य।

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–..............

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)....

10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य–1,90,000/– रूपये

11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित ....हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):–

दिनांक 23.05.2022 को मन उप अधीक्षक पुलिस, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रनिब्यूरो, जयपुर को श्रीमान् महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर एवं श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक, विअनुई, भ्रनिब्यूरो, जयपुर के निर्देशानुसार सूत्र सुचना पर श्री राजेश दुरेजा पुलिस उप अधीक्षक तकनीकी शाखा जयपुर की टीम से समन्वय कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने के संबंध में निर्देश मिले। इस सम्बन्ध में श्री राजेश दुरेजा, पुलिस उप अधीक्षक, तकनीकी शाखा, जयपुर की सूत्र सूचना दिनांक 23.05.2022 मय श्रीमान महानिदेशक महोदय के पृष्ठांकित आदेश से इस आशय की प्राप्त हुई कि राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में पदस्थापित कर्मचारी श्री नन्दकिशोर शर्मा द्वारा विभिन्न नर्सिंग कॉलेजों/स्कूलों को सीटें आवंटित करने, कॉलेजों के निरीक्षण तथा मान्यता दिलवाने के नाम पर रिश्वत राशि प्राप्त कर रहे है। इनके भ्रष्ट कृत्यों में देव ग्रुप ऑफ एजुकेशन, भीलवाडा के प्रतिनिधी श्री बंशी भी सम्मिलित है। उक्त सूचना का तकनीकी शाखा द्वारा गोपनीय सत्यापन किया गया, जिसकी तकनीकी विश्लेषण से पुष्टि होने पर संबंधित संदिग्ध व्यक्तियों के

मोबाईल नम्बर सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के उपरान्त अन्तावरोध पर लिये गये तथा तकनीकी शाखा में पदस्थापित श्री लक्ष्मण सिंह हैडकानि0 तथा कानि0 श्री अनिल सिंह द्वारा गोपनीय रूप से सत्यापन भी किया गया तो सूत्र सूचना के तथ्यों की पुष्टि हुई। इसी क्रम में अन्तावरोध वार्ताओं के दौरान प्रकट हुआ कि राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में पदस्थापित श्री नन्दकिशोर शर्मा, कनिष्ठ सहायक द्वारा विभिन्न नर्सिंग स्कूलों के संचालको/प्रिसीपल तथा मध्यस्थ श्री बंशीलाल से अवैध रूप से मिलीभगत कर उक्त नर्सिंग स्कूलों में खाली सीटों पर छात्र-छात्राओं के प्रवेश करवाने की एवज में मध्यस्थ श्री बंशीलाल के मार्फत रिश्वत राशि का आदान-प्रदान किया जा रहा है, इसके अतिरिक्त श्री नन्दकिशोर शर्मा द्वारा अन्य व्यक्तियों/संचालकों से उनकी संस्थानों का निरीक्षण करवाने, एनओसी की कॉपी भेजने, रजिस्ट्रेशन करवाने आदि कार्यों के लिये स्वयं अथवा अन्य के लिये रिश्वत राशि की मांग की जा रही है। इसी क्रम में संदिग्ध श्री बंशीलाल द्वारा छात्र-छात्राओं के नर्सिंग स्कूल में प्रवेश करवाने की एवज में सम्बंधित से रिश्वत राशि एकत्रित कर श्री नन्दकिशोर शर्मा को सुपुर्द करना पाया गया। अन्तावरोध पर संदिग्ध व्यक्तियों की रिकॉर्ड वार्ताओं को सुनने से पाया गया कि संदिग्ध बंशीलाल द्वारा श्री नन्दकिशोर शर्मा के मार्फत इरशाद ममोरियल स्कूल ऑफ नर्सिंग, जगतपुरा, जयपुर में अपने छात्र-छात्राओं का प्रवेश करवाया गया है जिनका प्रवेश करवाने की एवज में नन्दकिशोर द्वारा अवैध रूप से रिश्वत की मांग की जा रही है। उक्त रिश्वत राशि सम्बंधित से एकत्रित कर बंशीलाल दिनांक 24.05.2022 को प्रातः संदिग्ध लोकसेवक श्री नन्दकिशोर शर्मा को राजस्थान नर्सिंग कौसिंल स्थित उसके कार्यालय पर मिलकर देने वाला है।

दिनांक 24.05.2022 को मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा उक्त सूत्र सूचना पर अग्रिम कार्यवाही हेतु पूर्व से पाबंदशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री पंकज सैनी तथा मनीष राय को सूत्र सूचना पर अब तक की कार्यवाही से अवगत कराकर अग्रिम कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह के तोर पर उपस्थित रहने हेतु आवश्यक सहमति प्राप्त की। इसके पश्चात उक्त सूचना के सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु मन् उप अधीक्षक पुलिस मय उपरोक्त मौतबिरान एवं जाब्ता सर्वश्री रघुवीर शरण शर्मा, पुलिस निरीक्षक, रमजान अली कानि0 466, पन्नालाल कानि0 09, अमित ढाका कानि0 489, सुभाष कानि0 465, मनीष सिंह कानि0 486 मय सरकारी वाहनों मय चालक, लेपटॉप प्रिंटर, ट्रेप बॉक्स के संदिग्ध कर्मचारी श्री नन्द किशोर शर्मा के ब्यूरो मुख्यालय से रवाना होकर कार्यालय राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, जयपुर के पास पहुंचकर वहीं पर आस-पास में अपनी उपस्थित छुपाते हुये मूकीम हुये। उक्त सूत्र सूचना के क्रम में संदिग्ध व्यक्ति/लोकसेवकों की गोपनीय निगरानी में पूर्व से मामूरशुदा तकनीकी शाखा, भ्रनिब्यूरो, जयपुर की टीम जिसमें सर्वश्री केशर सिंह, सउनि, रतनदीप सउनि, राहुल शर्मा हैडकानि 80, भरत लाल हैडकानि 262, अनिल सिंह कानि0 381, हिम्मत सिंह कानि0 217, संजय बसेरा कानि0 177, पर्वत सिंह कानि0 15 पूर्व से सम्पर्क कर अग्रिम कार्यवाही हेतु समन्वय किया गया तो ज्ञात हुआ कि तकनीकी शाखा की टीम कार्यवाही हेतु संदिग्ध कर्मचारीगण/दलाल की निगरानी में पूर्व से ही कार्यालय राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, जयपुर के आस-पास ही मुकीम है। जिन्होंने बताया कि संदिग्ध श्री बंशीलाल इरशाद मेमोरियल स्कूल ऑफ नर्सिंग, जगतपुरा, जयपुर में अपने छात्र-छात्राओं का प्रवेश करवाने की एवज में सम्बंधित से एकत्रित कर लाई गई रिश्वत राशि संदिग्ध लोकसेवक श्री नन्दकिशोर शर्मा को देने के लिये आने वाला है।

मन् उप अधीक्षक पुलिस मय जाब्ता भी उपरोक्त तकनीकी शाखा की टीम से नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु समन्वय स्थापित कर अपनी-अपनी उपस्थिति का छुपाव करते हुये कार्यालय राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, जयपुर के आस-पास संदिग्ध की निगरानी में मामूर हुये। समय करीब 11:30 एएम पर श्री केशर सिंह सउनि ने मुझ उप अधीक्षक पुलिस को जरिये दूरभाष अवगत कराया कि अन्तावरोध वार्ताओं में आये तथ्यों के आधार पर दलाल श्री बंशीलाल अब संदिग्ध कर्मचारी श्री नन्द किशोर शर्मा से मिलकर रिश्वत राशि आदान-प्रदान करने हेतु कार्यालय राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, जयपुर में गया है। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने समस्त टीम को संदिग्ध कर्मचारी/दलाल की निगरानी रखने हेतु आवश्यक हिदायत कर मामूर किया। समय करीबन 01:00 पीएम पर श्री केशर सिंह ने जरिये दूरभाष मन् उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि अब दलाल श्री बंशीलाल एक अन्य व्यक्ति के साथ संदिग्ध अधिकारी श्री नन्द किशोर शर्मा से मिलकर कार्यालय राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, जयपुर से बाहर निकलकर अपनी कार आरजे 06 सीडी 9933 (मारूति ब्रेजा बरंग सफेद) से रवाना होकर जा रहे है। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान जाब्ता उपरोक्त मौतबिरान एवं तकनीकी शाखा की टीम की मदद से होटल होलीडेइन, जयपुर के सामने उक्त गाडी को रूकवाकर सडक के किनारे पर खडा करवाया जाकर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपना तथा हमराहियान का परिचय देकर अपने आने का प्रयोजन बताया। तत्पश्चात गाडी में बैठे व्यक्तियों से नाम पता पूछा तो गाडी में आगे की सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम श्री बंशीलाल पुत्र श्री तेजाराम गुर्जर उम्र 32 साल निवासी भेरू करेडा, पुलिस थाना करेडा, जिला भीलवाडा हाल मकान नम्बर जी-355, आजाद नगर, गोतम आश्रम वाली गली, भीलवाडा होना बताया तथा दूसरे व्यक्ति जो उक्त गाडी चला रहा है उसने अपना नाम श्री मुकेश

कुमार जैन पुत्र श्री घासीलाल जैन उम्र 40 साल निवासी प्लेट नम्बर 106, नाकोडा नगर, पुलिस थाना प्रतापनगर, उदयपुर होना बताया। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा संदिग्ध दलाल श्री बंशीलाल गुर्जर को पुनः अपने आने का प्रयोजन बताकर कार्यालय राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, जयपुर में जिस कर्मचारी/अधिकारी से मिलकर आया है उसके सम्बंध में पूछने पर श्री बंशीलाल गुर्जर ने बताया कि मैं अभी कार्यालय राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, जयपुर में श्री नन्द किशोर शर्मा से मिलकर आया हूं, श्री नन्द किशोर शर्मा उक्त कार्यालय में कनिष्ठ सहायक के पद पर पदस्थापित है जो नर्सिंग स्कूलों की मान्यता दिलाने, सीटे बढाने तथा उनका निरीक्षण करवाने से सम्बंधित कार्य देखते है। मैंने पूर्व में श्री नन्द किशोर शर्मा के मार्फत जीएनएम कोर्स हेतु छः छात्र–छात्राओं का प्रवेश इरशाद स्कूल ऑफ नर्सिंग, जगतपुरा जयपुर में करवाया था। जिनकी फीस कॉलेज के प्रिसीपल द्वारा 70,000/– रूपये प्रतिछात्र बताये गये थे। जिसके सम्बंध में श्री नन्द किशोर शर्मा द्वारा मुझे इरशाद मेमोरियल स्कूल ऑफ नर्सिंग, जगतपुरा जयपुर के प्रिंसीपल से स्वयं ही बात कर फीस की राशि 50,000/– प्रतिछात्र करवा दूंगा। मैंने इनको छात्रों की फीस हेतु पूर्व में भी पैसे दिये है तथा अब श्री नन्द किशोर द्वारा छात्रों की फीस हेतु 1,50,000/– रूपये तथा मेरे छात्रों का प्रवेश इरशाद मेमोरियल स्कूल ऑफ नर्सिंग, जगतपुरा जयपुर में करवाने की एवज में 40,000/– रूपये स्वयं के लिये मांगे जा रहे थे, जिस हेतु आज मैं 1,50,000/– रूपये उक्त छात्रों की फीस के लिये तथा 40,000/– रूपये श्री नन्द किशोर जी के लिये लाया था। जो मैंने आज अभी श्री नन्द किशोर के कार्यालय में उनको दे दी है। वह अभी अपने कार्यालय में ही बैठे हुये है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि वो आगे कॉलेज में क्या देंगे। तत्पश्चात श्री बंशीलाल की गाडी में तकनीकी शाखा की टीम में से श्री राहुल हैडकानि0 तथा श्री अनिल सिंह कानि0 को बाद हिदायत बिठाकर मन् उप अधीक्षक पुलिस की गाडी के पीछे–पीछे रवाना कराकर कार्यालय राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, जयपुर पहुंचा। जहां पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने संदिग्ध श्री बंशीलाल को श्री नन्द किशोर के पास लेकर जाने हेतु कहा तो संदिग्ध श्री बंशीलाल ने बताया कि श्री नन्द किशोर का कार्यालय कक्ष राजस्थान नर्सिंग कौसिंल के तलघर में स्थित है। जहां मैं उनसे मिलकर आया हूं। तत्पश्चात संदिग्ध श्री बंशीलाल के बताये अनुसार मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान, उक्त मौतबिरान, तकनीकी शाखा की टीम तथा उक्त संदिग्ध श्री बंधीलाल को हमराह लेकर कार्यालय राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, जयपुर में तलघर में पहुंचा, जहां श्री बंशीलाल मन् उप अधीक्षक पुलिस तथा हमराहियान को सीडीयों के लगते हुये बडे कमरे से होते हुये एक कमरे में लेकर गया जहां कमरे में प्रवेश करते ही बांयी तरफ टेबल के सामने कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि ये ही नन्द किशोर जी है। जिन्होंने ने मेरे से इरशाद मेमोरियल स्कूल ऑफ नर्सिंग, जगतपुरा जयपुर में मेरे छात्रों की फीस के तौर पर प्रतिछात्र 50,000/– रूपये तथा उक्त कार्य कराने की एवज में स्वयं के लिये 40,000/– रूपये लिये है। तत्पश्चात् मन् उप अधीक्षक पुलिस ने उक्त व्यक्ति को अपना तथा हमराहियान का परिचय देकर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री नन्दकिशोर शर्मा पुत्र श्री बंधीधर शर्मा उम्र 60 साल निवासी मकान नम्बर 114, कालवाड रोड, गोविन्दपुरा, मुरली मनोहर जी का मंदिर, जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय राजस्थान नर्सिंग कौसिंल, जयपुर (एकेडमिक सेल) होना बताया। तत्पश्चात् संदिग्ध कर्मचारी श्री नन्द किशोर शर्मा को संदिग्ध श्री बंशीलाल के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि ये बंशीलाल है, मैं इसको जानता हूं। आज ये मेरे पास आये थे इनके छात्रों का एडमिशन मैंने इरशाद मेमोरियल स्कूल ऑफ नर्सिंग, जगतपुरा, जयपुर में करवाया था क्योंकि मैं इरशाद मेमोरियल स्कूल ऑफ नर्सिंग, जगतपुरा, जयपुर के संचालक श्री रतन तिवाडी को जानता हूं। मैंने इनके कहने पर ही छात्र–छात्राओं के एडमिशन के लिये उनसे बात की थी तथा उनके द्वारा कहने पर ही मैंने श्री बंशीलाल के छात्र–छात्राओं का एडमिशन उनके कॉलेज/स्कूल में करवाया था। तत्पश्चात संदिग्ध कर्मचारी श्री नन्द किशोर शर्मा को अभी–अभी श्री बंशीलाल से रिश्वत राशि आदान–प्रदान के बारे में पूछने पर पहले तो संदिग्ध कर्मचारी चुप हो गया तथा फिर तसल्ली देकर पूछने पर उसने बताया कि मैंने श्री बंशीलाल से अभी कोई रिश्वत नहीं ली है इन्होंने अपने छात्र–छात्राओं की फिस के लिये मुझे अभी 1,90,000/– रूपये दिये है। जो मैंने लेकर अपनी जेब में रखे है। तत्पश्चात् रिश्वत राशि आदान–प्रदान के सम्बंध में मौके पर उपस्थित संदिग्ध श्री बंशीलाल से पूछने पर उसने बताया कि मैं अपने छात्र–छात्राओं की फीस की कुछ राशि पूर्व में भी इनको दे चुका हूं तथा श्री नन्दकिशोर द्वारा छात्र–छात्राओं की फीस की शेष राशि तथा छात्र–छात्राओं का नर्सिंग स्कूल में एडमिशन करवाने की एवज में स्वयं के लिये 40,000/– रूपये की मांग करने पर मैं 1,50,000/–रूपये बतौर फीस तथा श्री नन्दकिशोर के लिये 40,000/– रूपये लेकर आया था जो इनके मांगने पर मैंने आज इनको दे दी। इनको पैसे देने के बाद मैंने मेरे मोबाईल फोन से इरशाद मेमोरियल स्कूल ऑफ नर्सिंग के प्रिंसीपल के मोबाईल नम्बर 8209243566 पर वार्ता कर

छात्र–छात्राओं की फीस तथा श्री नन्दकिशोर जी के पैसे देने के बारे में बताया था, उक्त राशि देने की पुष्टि होने पर ही इरशाद मेमोरियल स्कूल ऑफ नर्सिंग के प्रिसीपल ने मेरे को कहा कि छात्र–छात्राओं की परीक्षा हेतु परमिशन लेटर मैं उनको दे दूंगा। इससे पूर्व प्रिसीपल छात्र–छात्राओं की परीक्षा हेतु परमिशन लेटर नहीं दे रहा था। जिस पर संदिग्ध कर्मचारी श्री नन्दकिशोर को उपरोक्त के सम्बंध में पूछने पर श्री नन्दकिशोर चुप हो गया। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री नन्दकिशोर को श्री बंशीलाल द्वारा दी गई रिश्वत राशि प्रस्तुत करने के सम्बंध में कहा गया तो श्री नन्दकिशोर ने अपने पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब से दो गड्डिया निकालकर प्रस्तुत की, जिनमें एक गड्डी 2000–2000 रूपये के नोटों की तथा दूसरी 500–500 रूपये नोटों की है। जिनको देखकर संदिग्ध श्री बंशीलाल ने बताया कि यही रूपये मैंने आज श्री नन्दकिशोर को छात्र छात्राओं की फीस तथा नर्सिंग स्कूल में एडमिशन करवाने की एवज में दिये है। तत्पश्चात उक्त बरामद रिश्वत राशि स्वतंत्र गवाहान श्री पंकज सैनी तथा श्री मनीष रॉय से गिनवायी गई तो 2000–2000 रूपये की गड्डी में कुल 70 नोट होकर 1,40,000/– रूपये तथा 500–500 रूपये की गड्डी में कुल 100 नोट होकर 50,000/– रूपये होना तथा कुल 1,90,000/– रूपये बरामद होना पाया गया। उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के समक्ष तलाशी में मिली उक्त रिश्वत राशि 1,90,000/–रूपये को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।

तत्पश्चात स्वतंत्र गवाहान से आरोपीगण की नियमानुसार जामा तलाशी लिवाई गई। आरोपी श्री बंशीलाल की जामा तलाशी में पाये गये दोनों मोबाईल जिनमें एक सेमसंग कम्पनी का गेलेक्सी ए8 प्लस मॉडल बरंग ब्लेक जिसके आईएमईआई नम्बर 355111090401007, 355112090401005 है जिसमें मोबाईल नम्बर 9414974933 (जीयो), 9413674933 (एयरटेल) होना पाया गया। फोन में लॉक लगा हुआ है जिसके पासवर्ड 5566 है। तत्पश्चात आरोपीगण श्री बंशीलाल तथा श्री नन्दकिशोर के मोबाईल फोन प्रकरण की विषयवस्तु से सम्बन्धित है और उक्त आरोपीगणों के मध्य संदिग्ध वाट्सअप वार्ता/कॉल हुये है, इस सम्बन्ध में तकनीकी शाखा, भ्रनिब्यूरो, जयपुर द्वारा आरोपी श्री बंशीलाल के मोबाईल फोन में प्रकरण से सम्बन्धित संरक्षित वाट्सअप चैट/कॉल के फोटोज लिये जाकर प्रिन्ट लिया जाकर मन् उप अधीक्षक पुलिस को प्रस्तुत किया गया, जिन्हें बाद अवलोकन शामिल फर्द किया गया। उपरोक्त के अवलोकन से दोनों आरोपीगण के मध्य बार–बार रिश्वत राशि का आदान–प्रदान होना पाया गया। दूसरा मोबाईल रेडमी कंम्पनी का मॉडल रेडमी 9आई है जिसके आईएमईआई नम्बर 863716052385561, 863716052385579 है तथा मोबाईल में एक सीम लगी हुई है जिसके नम्बर 9057263054 (जीयो), 9413974933 (वोडाआईडिया) लगी हुई है। उक्त फोन के 9933 पासवर्ड लगा हुआ है। इसी क्रम में आरोपी नन्दकिशोर की जामा तलाशी में मिले एक मोबाईल वन प्लस कम्पनी का 9आर मॉडल बरंग ब्लेक, जिसके आईएमईआई नम्बर 866978054947379, 866978054947361 है जिसमें सीम नम्बर 8005786251 (जीयो), 9799571407 (एयरटेल) होना पाया गया। उक्त मोबाईल फोनों से आरोपीगण श्री नन्दकिशोर तथा श्री बंशीलाल द्वारा परस्पर आपस में तथा प्रकरण में अन्य सदिग्धान से रिश्वत आदान–प्रदान के सम्बंध में वार्ता करना पाया गया है अतः उक्त तीनों मोबाईल फोन कार्यवाही में बतौर वजह सबूत होने से कब्जा एसीबी लिया जाकर एक सफेद कपडे की थेली में शिल्ड कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्का अंकित किया गया।

इसके उपरान्त श्री राजेश दुरेजा पुलिस उप अधीक्षक द्वारा पेश सूत्र सूचना में दिनांक 12.11.2021 को समय 16:37:35 पर आरोपीगण के मध्य हुए वार्तालाप में श्री नन्दकिशोर द्वारा बंशी को कहा जाता है कि अपनी बात 24 को हो गई थी अपने अभी तक कुछ नहीं किया तो वो किसी ओर से करेगा जिस पर बंशी कहता है कि अपना डन हो गया ना जिस पर नन्दकिशोर कहता है कि अपन दे क्या रहे है उसको जिस पर बंशी कहता है कि 21 के लिये तो उनको बोलो ना जिस पर नन्दकिशोर कहता है कि अगला क्यों बैठा रहेगा, फाईनल करे तो ठीक है जिस पर बन्शी मैं बेंगलोर से आ रहा हूं नाईट में उसके बाद आता हूं आपके पास कहता है। इसी क्रम में अन्तावरोध के दौरान आरोपी श्री नन्दकिशोर शर्मा द्वारा अपने तथा अपने परिचितो के खातों में पैसे ट्रांसफर करने हेतु कहे जाने पर आरोपी श्री बंशीलाल द्वारा कई बार विभिन्न खातों में पैसे ट्रांसफर किया जाना पाया गया है। इसी क्रम में आज दिनांक 24.05.2022 को उक्त रिश्वत राशि आरोपी नन्दकिशोर शर्मा एवं आरोपी श्री बंशीलाल द्वारा आदान–प्रदान होकर उक्त रिश्वत राशि आरोपी श्री नन्दकिशोर के कब्जे से बरामद होना पाया गया है। आरोपी श्री नन्दकिशोर शर्मा द्वारा जोगाराम से संस्थान का निरीक्षण करने, एनओसी की कॉपी भेजने, रजिस्ट्रेशन करवाने इत्यादि कार्यो की एवज में भी रिश्वत राशि के आदान–प्रदान के सम्बंध में वार्ता करना पाया गया है।

ब्यूरो मुख्यालय से प्राप्त सूत्र सूचना पर अब तक की कार्यवाही से अन्तावरोध पर लिये गये आरोपीगण कर्मचारी श्री नन्द किशोर के मोबाईल नम्बर 9799571407, 8005786251 एवं मध्यस्थ श्री बंशीलाल 9414974933 एवं 9413974933 के मध्य हुये वार्तालाप से प्रकट हुआ है कि आरोपी श्री नन्दकिशोर शर्मा, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय राजस्थान नर्सिंग कॉसिंल, जयपुर द्वारा नर्सिंग सस्थांन संचलकों तथा मध्यस्थ आरोपी श्री बंशीलाल से अवैध रूप से मिलीभगत कर स्वयं लोकसेवक होते हुये नर्सिंग सस्थानों में छात्र–छात्राओं का एडमिशन कराने की एवज में स्वयं के लिये रिश्वत राशि की मांग करना तथा उक्त मांग के अनुसरण में आज दिनांक को आरोपी श्री बंशीलाल से छात्र–छात्राओं की फीस के तौर पर 1,50,000/– रूपये तथा एडमिशन कराने की एवज में स्वयं के लिये 40,000/– रूपये की रिश्वत राशि का आदान–प्रदान करना प्रमाणित होना पाया गया है। सूत्र सूचना के अवलोकन से श्री जोगाराम के संस्थान के इन्स्पेक्शन के सम्बंध में वार्ता होना पाया गया है जिसके सम्बंध में आरोपी श्री नन्दकिशोर से पूछने पर उन्होंने बताया कि श्री जोगाराम मेरे परिचित है। उनकी संस्थान के इन्स्पेक्शन के सम्बंध में हमारे दोनों के मध्य वार्ता हुई है। सूत्र सूचना के अवलोकन से आरोपी श्री नन्दकिशोर तथा संदिग्ध श्री जोगाराम के मध्य संस्थान के इन्स्पेक्शन की एवज में रिश्वत राशि की प्रदान करने तथा आरोपी श्री नन्दकिशोर शर्मा द्वारा "देख लेना तू तेरे हिसाब से" कहकर रिश्वत राशि लेने हेतु सहमति प्रदान करना पाया गया है। इसके अतिरिक्त भी आरोपी श्री नन्दकिशोर शर्मा तथा संदिग्ध श्री जोगाराम के मध्य रिश्वत राशि आदान–प्रदान के सम्बंध में वार्तालाप होना पाया गया है। इसी क्रम में आरोपी श्री बंशीलाल से दिनांक 24.05.2022 को आरोपी श्री नन्दकिशोर को उसके द्वारा दी गई रिश्वत राशि के सम्बंध में पूछने पर आरोपी श्री बंशीलाल ने बताया कि यह राशि मैंने छात्रा सीमा, खुशबू, राजमल, पूजा पंवार, रानू पंवार और किरण छीपा से एकत्रित कर लाया हूं। जिन्होंने मुझे कुछ समय पूर्व ही दिये है इनमें से राजमल, पूजा पंवार तथा रानू पंवार के पैसे मेरे पास नगद आये थे बाकियों ने मेरे फोन पे तथा मेरे खाते में डलवाये थे। मैने सभी छात्रों से 55–60 हजार रूपये के हिसाब से पैसे लिये थे। इन्होंने अपने संस्थान में प्रवेश हेतु उक्त राशि मुझे दी थी।

इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री नन्द किशोर शर्मा पुत्र श्री बंशीधर शर्मा उम्र 60 साल निवासी मकान नम्बर 114, कालवाड रोड, गोविन्द पुरा, मुरली मनोहर जी का मंदिर, जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, जयपुर द्वारा अन्य आरोपीगणों/संस्थान संचालकों से अवैध रूप से मिलीभगत कर विभिन्न नर्सिंग स्कूलो/कॉलेजों में छात्र–छात्राओं का प्रवेश करवाने तथा निरीक्षण करवाने की एवज में स्वयं एवं अन्य के लिये रिश्वत की मांग कर प्राप्त करना पाया गया। इसी क्रम में आज दिनांक 24.05.2022 को आरोपी श्री बंशीलाल से इरशाद मेमोरियल स्कूल ऑफ नर्सिंग, जगतपुरा, जयपुर में छात्र–छात्राओं का एडमिशन करवाने की एवज में स्वयं एवं अन्य के लिये रिश्वत राशि प्राप्त करना पाया गया। आरोपी नन्दकिशोर शर्मा का उक्त कृत्य धारा 7, 7ए, 8 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018) एवं 120 बी भादंसं के तहत दण्डनीय अपराध होने से उक्त आरोपी को जुर्म से आगाह कराकर जरिये फर्द पृथक से गिरफतार किया गया।

इसी क्रम में आरोपी श्री बंशीलाल पुत्र श्री तेजाराम गुर्जर उम्र 32 साल निवासी भेरू करेडा, पुलिस थाना करेडा, जिला भीलवाडा हाल मकान नम्बर जी–355, आजाद नगर, गोतम आश्रम वाली गली, भीलवाडा द्वारा आरोपी श्री नन्दकिशोर शर्मा एवं अन्य व्यक्तियों से अवैध रूप से मिलीभगत कर नर्सिंग स्कूल में छात्र–छात्राओं का प्रवेश कराने की एवज में स्वयं एवं अन्य के लिये रिश्वत राशि प्राप्त करना तथा आज दिनांक 24.05.2022 को इरशाद मेमोरियल स्कूल ऑफ नर्सिंग, जगतपुरा, जयपुर में छात्र–छात्राओं के एडमिशन कराने की एवज में आरोपी श्री नन्दकिशोर शर्मा को रिश्वत राशि प्रदान करना प्रमाणित पाया गया। आरोपी बंशीलाल का उक्त कृत्य धारा 7ए, 8 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018) एवं 120 बी भादंसं के तहत दण्डनीय अपराध होने से उक्त आरोपी को जुर्म से आगाह कराकर जरिये फर्द पृथक से गिरफतार किया गया।

स्वतंत्र गवाहान के समक्ष घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका मूर्तिब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। बरामदा रिश्वत राशि को कब्जा एसीबी लेकर ट्रेप बॉक्स में सुरक्षित रखवाया गया। दौराने ट्रैप कार्यवाही कोविड–19 महामारी के सम्बंध में राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों की पालना सुनिश्चित की गई। आरोपी श्री नन्दकिशोर शर्मा के कार्यालय कक्ष को कार्यालय राज0 नर्सिंग कौसिंल, जयपुर के सुरक्षा गार्ड को दुरस्त हालत में सुरक्षित सम्भलाया गया। तत्पश्चात मौका कार्यवाही से फारिक होकर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान, जब्तशुदा आर्टिकल्स, बरामदा रिश्वत राशि तथा गिरफतारशुदा उपरोक्त आरोपीगण के राजस्थान नर्सिंग कौंसिल जयपुर से रवाना होकर गिरफतारशुदा आरोपीगण का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर

ब्यूरो मुख्यालय उपस्थित आया। जहां पर दोनों आरोपीगण से स्वतंत्र गवाहान के समक्ष पुनः पूछताछ की जाकर पूछताछ नोट पृथक से मूर्तिब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

सूत्र सूचना में अंकित दीगर अन्तावरोध वार्ताओं तथा सूत्र सूचना के सत्यापन पर अब तक की गई कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री बंशीलाल द्वारा छः छात्राओं का प्रवेश आरोपी श्री नन्दकिशोर शर्मा, कनिष्ठ सहायक के मार्फत उनकी जान पहचान के श्री रतन तिवाडी की इरशाद मेमोरियल स्कूल ऑफ नर्सिंग, जगतपुरा, जयपुर में प्रवेश करवाया गया है उक्त छात्राओं का प्रवेश इरशाद मेमोरियल स्कूल ऑफ नर्सिंग, जगतपुरा, जयपुर में करवाने की एवज में आरोपी श्री नन्दकिशोर द्वारा आरोपी श्री बंशीलाल से रिश्वत राशि की मांग कर रिश्वत राशि प्राप्त कर उक्त रिश्वत राशि प्राप्त होने के पश्चात आरोपी श्री नन्दकिशोर शर्मा द्वारा उक्त नर्सिंग स्कूल के संचालक से सम्पर्क कर वार्ता की गई है। जिससे आरोपी श्री नन्दकिशोकर के भ्रष्ट कृत्यों में संचालक श्री रतन तिवाडी की मिलीभगत स्पष्ट होती है। इसी क्रम में दौराने कार्यवाही आरोपी श्री बंशीलाल ने बताया है कि इरशाद मेमोरियल स्कूल ऑफ नर्सिंग, जगतपुरा, जयपुर के प्रिसीपल द्वारा आरोपी श्री नन्दकिशोर शर्मा को जब तक रिश्वत की राशि नहीं दी गई तब तक प्रिसीपल द्वारा उसकी छात्राओं को परीक्षा में बैठने हेतु एडमिट कार्ड नहीं दिये जा रहे थे, जब मैंने रिश्वत राशि आरोपी श्री नन्दकिशोर शर्मा देने के बाद मैंने प्रिसीपल से जरिये दूरभाष वार्ता कर उक्त के सन्दर्भ में बताया तो प्रिसीपल ने अपने संचालक से बात कर मुझे कहा कि अब मैं आपकी छात्राओं को एडमिट कार्ड उपलब्ध करवा दूंगा। उपरोक्त से इरशाद मेमोरियल स्कूल ऑफ नर्सिंग, जगतपुरा, जयपुर के संचालक श्री रतन तिवाडी तथा प्रिसीपल की भूमिका संदिग्ध प्रतीत होती है।

इसी क्रम में सूत्र सूत्र सूचना के अवलोकन से आरोपी श्री नन्दकिशोर तथा संदिग्ध श्री जोगाराम के मध्य संस्थान के इन्स्पेक्शन की एवज में रिश्वत राशि की प्रदान करने तथा आरोपी श्री नन्दकिशोर शर्मा द्वारा "देख लेना तू तेरे हिसाब से" कहकर रिश्वत राशि लेने हेतु सहमति प्रदान करना पाया गया है। इसके अतिरिक्त भी आरोपी श्री नन्दकिशोर शर्मा तथा संदिग्ध श्री जोगाराम के मध्य रिश्वत राशि आदान–प्रदान के सम्बंध में वार्तालाप होना पाया गया है। आरोपी श्री नन्दकिशोर शर्मा द्वारा संदिग्ध श्री जोगाराम से हुई वार्ता में उसकी संस्थान के भवन आदि का निरीक्षण निरीक्षण करवाने, एनओसी की कॉपी भेजने, रजिस्ट्रेशन करवाने आदि कार्यों के लिये स्वयं अथवा अन्य के लिये रिश्वत राशि की मांग करना प्रथम दृष्टया पाया गया है। अतः प्रकरण में उपरोक्त लोकसेवक/मध्यस्थ से संदिग्ध श्री जोगाराम तथा इरशाद मेमोरियल स्कूल ऑफ नर्सिंग, जगतपुरा, जयपुर के संचालक श्री रतन तिवाडी तथा प्रिसीपल की मिलीभगत सम्बंधी वार्ताओं के सम्बंध में विस्तृत अनुसंधान से ही उनकी भूमिका स्पष्ट हो सकती है।

अब तक की कार्यवाही से इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री नन्द किशोर शर्मा पुत्र श्री बंशीधर शर्मा उम्र 60 साल निवासी मकान नम्बर 114, कालवाड रोड, गोविन्द पुरा, मुरली मनोहर जी का मंदिर, जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, जयपुर द्वारा श्री बंशीलाल पुत्र श्री तेजाराम गुर्जर उम्र 32 साल निवासी भेरू करेडा, पुलिस थाना करेडा, जिला भीलवाडा हाल मकान नम्बर जी–355, आजाद नगर, गोतम आश्रम वाली गली, भीलवाडा के मार्फत इरशाद मेमोरियल स्कूल ऑफ नर्सिंग, जगतपुरा, जयपुर में छात्र–छात्राओं का प्रवेश कराने की एवज में रिश्वत राशि की मांग कर प्राप्त करना तथा अन्य व्यक्तियों/संचालकों से संस्थानों के निरीक्षण करवाने, एनओसी की कॉपी भेजने, रजिस्ट्रेशन करवाने आदि कार्यों के लिये स्वयं अथवा अन्य के लिये रिश्वत राशि की मांग करना तथा आरोपी श्री बंशीलाल द्वारा उपरोक्त आरोपी नन्दकिशोर शर्मा के भ्रष्ट कृत्यों में संलिप्त होते हुये पूर्व की अन्तावरोध वार्ताओं के क्रम में आरोपी नन्दकिशोर नर्सिंग स्कूल में छात्र–छात्राओं का प्रवेश करवाने की एवज में अन्य वयिक्तयों से रिश्वत राशि एकत्रित कर दिनांक 24.05.2022 को रिश्वत राशि आरोपी श्री नन्दकिशोर को उसके कार्यालय में लाकर प्रदान करना प्रमाणित पाया गया। इस प्रकार आरोपीगण आरोपी श्री नन्द किशोर शर्मा पुत्र श्री बंशीधर शर्मा उम्र 60 साल निवासी मकान नम्बर 114, कालवाड रोड, गोविन्द पुरा, मुरली मनोहर जी का मंदिर, जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, जयपुर द्वारा श्री बंशीलाल पुत्र श्री तेजाराम गुर्जर उम्र 32 साल निवासी भेरू करेडा, पुलिस थाना करेडा, जिला भीलवाडा हाल मकान नम्बर जी–355, आजाद नगर, गोतम आश्रम वाली गली, भीलवाडा एवं अन्य का उक्त कृत्य अपराध धारा 7, 7ए, 8 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018) एवं 120 बी भादंसं. में कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया।

अतः आरोपीगण 1. श्री नन्द किशोर शर्मा पुत्र श्री बंशीधर शर्मा उम्र 60 साल निवासी मकान नम्बर 114, कालवाड रोड, गोविन्द पुरा, मुरली मनोहर जी का मंदिर, जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, जयपुर 2. श्री बंशीलाल पुत्र श्री तेजाराम गुर्जर उम्र 32 साल निवासी भेरू करेडा, पुलिस थाना करेडा, जिला भीलवाडा हाल मकान नम्बर जी–355, आजाद नगर, गोतम आश्रम वाली गली, भीलवाडा के मार्फत इरशाद मेमोरियल स्कूल ऑफ नर्सिंग, जगतपुरा, जयपुर 3. अन्य के विरूद्ध जुर्म धारा 7, 7ए, 8 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 120बी भा0दं0सं0 बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है।

(कमल नयन)
उप अधीक्षक पुलिस,
विशेष अनुसंधान ईकाई,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री कमल नयन, उप अधीक्षक पुलिस, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए, 8 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादसं में आरोपीगण 1. श्री नन्द किशोर शर्मा पुत्र श्री बंशीधर शर्मा, निवासी मकान नम्बर 114, कालवाड रोड, गोविन्दपुरा, मुरली मनोहर जी का मंदिर, जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, जयपुर 2. श्री बंशीलाल पुत्र श्री तेजाराम गुर्जर, निवासी भेरू करेडा, पुलिस थाना करेडा, जिला भीलवाड़ा हाल मकान नम्बर जी-355, आजाद नगर, गोतम आश्रम वाली गली, भीलवाड़ा एवं अन्य के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 204/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

25.5.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 1810-14 दिनांक 25.5.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर कम संख्या-1 जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. अध्यक्ष, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.आई.यू., जयपुर।

25.5.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर